210

समक्ष :– राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी-3163/2018/सागर/भू.रा.

अशोक कुमार आयु 55 वर्ष तनय भवानी प्रसाद खरे निवासी ग्राम मुडेरी हाल निवासी खकरिया रोड महराजपुर तह0 देवरी जिला सागर म.प्र.

..............पुनरीक्षणकर्ता

।।विरूद्व।।

श्रीमति निर्मला आयु लगभग 52 वर्ष पति उमाशंकर खरे पुत्री स्व.शारदा प्रसाद खरे निवासी ग्राम मुडेरी तह0 देवरी जिला सागर

..................प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण– अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

"पुनरीक्षणकर्ता विद्वान प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी देवरी तह0 देवरी जिला सागर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 121अ/6 वर्ष 2016–17 पर पारित आदेश दिनांक 06/04/2018 से पीडित होकर निम्न पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत करता है।"

प्रस्तुत! प्रारंभिक ... दिनांक 22-5-18 ... नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण का संक्षेपः–

1. (एक) यह कि, प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि, ग्राम मुडेरी प.ह.नं. 43 तह0 देवरी जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 116/1, 116/3, व 124 रकवा क्रमशः 0.12हे0, 0.41हे0 व 0.88हे0 कुल रकवा 1.41हे0 के राजस्व अभिलेख में पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में विधिवत नामान्तरण आदेश विचारण न्यायालय तहसीलदार देवरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 44अ/6 वर्ष 2014–15 पर पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 28/09/2015 के अनुसार दर्ज किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3163/2018/सागर/भू.रा. अशोक विरूद्ध निर्मला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनविभागीय अधिकारी देवरी जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 121अ/6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 30/1/19
सदस्य